राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
Website:- www.rajsec.rajasthan.gov.in, Email:- secraj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ.2(41)लेखा/रानिआ/भुग./टीडीएस/जीएसटी/1122 दिनांकः 17/04/2025

कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या 2025–26

राज्य निर्वाचन आयोग मे कार्यालय द्वारा स्त्रोत पर की गई टीडीएस एवं जीएसटी–टीडीएस कटौती की रिटर्न दाखिल करने, संशोधन रिटर्न, आयकर विभाग के दावों का जवाब/प्रतिनिधित्व करने, प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं फार्म नं. 16 तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय अथवा SPPP Portal से प्राप्त किये जा सकते है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	वार्षिक अनुमानित राशि
1.	कार्यालय उपयोगीतार्थ चार्टेट अकाउण्टेंट संबंधी सेवायें तथा TDS on Source GST-TDS, form no. 16, ITR Certificate etc.	30000/–

प्रस्तुत निविदा के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं का विववरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	सेवा का विवरण
1	संवैतनिक टीडीएस कटौती का त्रिमास फार्म नं. 24Q
2	गैर संवैतनिक टीडीएस कटौती का त्रिमास फार्म नं. 26Q
3	फार्म नं. 16 (कर्मचारी/फर्म) तैयार करना (प्रतिवर्ष)
4	संशोधन विवरण दाखिल करना (त्रैमासिक)
5	आयकर विभाग में दावों का प्रतिनिधित्व करना (प्रतिदावा)
6	जीएसटी–टीडीएस रिटर्न (प्रतिमाह)
7	जीएसटी–टीडीएस प्रमाण पत्र प्रति सेवादाता (प्रतिमाह)
8	नोडल एजेन्सी के त्रैमासिक रिटर्न अपलोड करने के चार्जेज

निविदा प्राप्त करने की तिथि – 17.04.2025, [redacted] 03:00 बजे से दिनांक 25.04.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि – दिनांक 25.04.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि – दिनांक 25.04.2025 को दोपहर 03:00 बजे

जो निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हें रद्द कर दिया जावेगा।

निविदा प्रपत्र आयोग की वेबसाईट **www.rajsec.rajasthan.gov.in** एवं **http://sppp.rajasthan.gov.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(नलिनी कठोतिया)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.2(41)लेखा/रानिआ/भुग./टीडीएस/जीएसटी/1123 दिनांकः 17/04/2025

प्रतिलिपिः– ACP, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजकर लेख है कि बोली सूचना एवं बोली प्रपत्र आदि SPPP Portal एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
Website: **www.rajsec.rajasthan.gov.in** Email: **secraj@rajasthan.gov.in**

सेवाये प्रदाय के लिये
निविदा प्रपत्र

निविदा प्राप्त करने की तिथि – 17.04.2025, प्रातः 03:00 बजे से दिनांक24.04.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि – दिनांक24.04.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि – दिनांक24.04.2025 को दोपहर 03:00 बजे

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता मय टेलिफोन/मोबाईल नं. : .....
   .....
   .....
2. निविदा **सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर** को सम्बोधित की जानी चाहिये।
3. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांकः 2(41)लेखा/रानिआ/भुग./टीडीएस/जीएसटी/.....दिनांक.....
4. हम सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक .....में वर्णित सभी शर्तों से तथा इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 500/– रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
6. दरें अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष के लिये विधि मान्य होगी।
7. निविदा के साथ फर्म का GST पंजीयन एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
8. निविदादाता फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाण (CA) पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
9. निविदा खोलने के समय फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
10. सफल निविदादाता को नियमानुसार 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) जमा करानी होगी।
11. बोली दाता का विवरण परिशिष्ठ–क की पूर्ति कर संलग्न कर दिया गया है।
12. बोलीदाता को परिशिष्ठ–ख में अंकित सभी कार्यों की बोली प्रस्तुत करनी होगी तथा सभी कार्यों के कुल योग की राशि जिस बोलीदाता की न्यूनतम होगी उसी को कार्यादेश दिया जा सकेगा।
13. मैं/हम राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांकः एफ. 2(41)लेखा/रानिआ/भुग./टीडीएस/जीएसटी/.....दिनांक..... में वर्णित सभी शर्तों मय परिशिष्ठ–"क" "ख" सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है तथा दी गई उक्त सूचना की अतिरिक्त शर्तों से भी बाध्य होना स्वीकार करते है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिये नियम 68)

टिप्पणीः– **निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।**

1. निविदा को उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने के अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
3. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण/कम्प्यूटराईज होगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
4. दर अंकन में कोई त्रुटि (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
5. **बातचीत (Negotiation)** :– (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी।

   (क) जब बोली लगाने वालो के द्वारा मिलकर समूह कीमते (Ring Price) दी गई हो या

   (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
6. **विधि मान्यता** :– निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
7. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।
8. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सुविधा प्रदान करने मे असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नही करने पर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही परफोमेंस सिक्यूरिटी राशि भी जब्त की जा सकती है।
9. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।
10. **(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (कार्य सम्पादन प्रतिभूति)** :–

    (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप–17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।

    (ii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा।

    (iii) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगें:–

    (क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक

    (ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

    (ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्किप्ट/विलेख, यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

    (iv) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद एवं दर संविदा की अवधि समाप्ति या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नही है, तो प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों मे समपहृत किया जाएगा–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. क्रय अधिकारी किसी निविदा को बिना कारण बतलाये अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिये निविदा दी गई है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक को वितरित करने का, अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. 1. I). निविदा प्रपत्र में सेवाये/माल की सुर्पुदगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

II). परिसमापित नुकसानी – परिसमापित नुकसानी के साथ सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के अधार पर उन सेवाये मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है।

(क) विहित सुर्पुदगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये – 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये – 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिये – 7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये – 10%

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

4. यदि प्रदाय करता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत सेवा का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5. यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

13. **भुगतान** – सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में सा.वि. ले.नि. के अनुसार उचित प्रारूप में बिल 03 प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

14. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा।

15. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

16. उक्त बोली के क्रम में सम्पादित अनुबन्ध के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय किया जा सकेगा, जो कि दोनो पक्षों को मान्य होगा।

17. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालय में की जायेगी एवं अन्यत्र नहीं की जायेगी।

18. निविदा प्रपत्र के साथ आनलाईन भुगतान हेतु केन्सिल चैक की प्रति एवं बैंक का नाम तथा बैंक का IFSC Code आदि का प्रमाण संलग्न करना होगा।

19. सा.वि. एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगें।

20. अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान् यदि कार्य की देरी से आयकर विभाग एवं जीएसटी विभाग द्वारा किसी प्रकार की मांग अथवा पैनल्टी कारित की जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी एवं उसी के द्वारा उक्त मांग अथवा पैनल्टी का भुतगान किया जायेगा।

(नलिनी कठोतिया)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

मैने उपरोक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबधित रहूंगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मुहर

निविदादाता का नाम व डाक का पता
टेलिफोन/मोबाईल नम्बर

परिशिष्ठ–क

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर बोलीदाता का विवरण
(बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

1	सेवा का नाम, जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या एवं ई–मेल का पता	
3	फर्म का पंजीकरण क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)च	
4	जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	
5	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	

बोली दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता

परिशिष्ठ–ख

वित्तीय निविदा का प्रारूप

क्र. सं.	सेवा का विवरण	पारिश्रमिक / चार्जेज	जी.एस.टी. (राशि रू.)	कुल राशि (राशि रू.)
1	संवैतनिक टीडीएस कटौती का त्रिमास फार्म नं. 24Q			
2	गैर संवैतनिक टीडीएस कटौती का त्रिमास फार्म नं. 26Q			
3	फार्म नं. 16 (कर्मचारी / फर्म) तैयार करना (प्रतिवर्ष)			
4	संशोधन विवरण दाखिल करना (त्रैमासिक)			
5	आयकर विभाग में दावों का प्रतिनिधित्व करना (प्रतिदावा)			
6	जीएसटी–टीडीएस रिटर्न (प्रतिमाह)			
7	जीएसटी–टीडीएस प्रमाण पत्र प्रति सेवादाता (प्रतिमाह)			
8	नोडल एजेन्सी के त्रैमासिक रिटर्न अपलोड करने के चार्जेज			

बोली दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता